55

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3318–तीन/13 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25–07–2013 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 29/अपील/2001–02.

.....

बाबूलाल पुत्र श्री हरलाल कलार
निवासी ग्राम लोहारी तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– रूमाल सिंह पुत्र तोफान सिंह
2–चंदन सिंह पुत्र मंगल सिंह
3–बृजेश पुत्र मंगल
4–विक्रम सिंह पुत्र मंगल सिंह
5–हरचरण पुत्र समरथ सिंह
6–संग्राम सिंह पुत्र धूमनसिंह
7–महेश पुत्र चिरोंजी लाल
8–काशीराम पुत्र चिरोंजी लाल
समस्त जाति चिढ़ार
निवासीगण ग्राम लोहारी तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0
9–भरत सिंह पुत्र भंजन सिंह चंदेल
निवासी ग्राम भीकली तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

–––अनावेदकगण

.....

श्री कुंअर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे0 एस0 गोड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपर आयुक्त ग्वालिर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 282/निगरानी/09–10 आदेश दिनांक 17.1.11 के साथ अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर को प्रकरण कमांक 29/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 18.2.08 को अपास्त किया जकार प्रकरण गुण दोषों पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा उभयपक्ष को सूचित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.2.08 को आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपील अपर आयुक्त को की गई थी। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त कर प्रकरण गुणदोषों पर सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु भूमि वंटन की सूचना ग्राम लुहारी में न करवाई जाना बताया है यदि यह मान भी लिया जावे कि मुनादी इत्यादि के माध्यम से सूचना नहीं कराई गई तब भी आवेदक के हित किस प्रकार प्रभावित होते हैं। आवेदक यह बताने में अक्षम रहा हैं । वस्तुत वर्ष 2001–2002 में भूमि वंटन का राज्य व्यापी अभियान चला था जिसमें प्रत्येक ग्राम में भूमि का वंटन भूमि हीन व्यक्तियों को किया गया, तथा इस ग्राम में भी 27 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुये गये। अतएव यह नहीं माना जा सकता कि ग्रामवासियों को भूमिबंटन की सूचना नहीं थी।

4– दूसरा बिन्दु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आवेदक का कब्जा का उल्लेख है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि आवेदक को बेदखल करना उचित ही था। कब्जे के आधार पर भूमि बंटन को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि प्रावधानों से उचित नहीं थी। आवेदक द्वारा अनावेदकों को सामान्य वर्ग का कथन किया है जबकि अनावेदकगण चिड़ार जाति के व्यक्ति हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.13 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 29/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 25.7.13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर